

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक स्था.1/95/2017/

रायपुर, दिनांक /03/2016

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक /प्र.प.-8/94/7313 दिनांक 08-06-1994 द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जारी आवास आबंटन नियम के बिन्दु क्रमांक (14) 1 अनुसार स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति पर 04 माह, (14) 4 - मृत्यु की दशा में 06 माह एवं (14) 5 - सेवानिवृत्त होने पर 06 माह तक आबंटित आवास को अपने आधिपत्य में रखने की पात्रता है। निर्धारित माह के पश्चात् उन्हें आबंटित आवास को रिक्त करना आवश्यक है। आवास रिक्त कराने की जिम्मेदारी उस केन्द्र के नियंत्रणकर्ता अधिकारी की होगी। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवास रिक्त नहीं करने पर वर्तमान नियंत्रणकर्ता अधिकारी विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक स्था.1/74/2010/6864 दिनांक 10-12-2010 के अनुसार आवास का किराया शासन के नियमानुसार पैनल रेंट वसूल करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

वि.वि.पत्र क्रमांक /बै.शा.प्रशा.परि.-24(6)/2004/8139 दिनांक 04-09-2004 के बिन्दु क्रमांक 8 अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं या उनके परिवार के नाम से विश्वविद्यालय रायपुर मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर आवास निर्मित है, उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा आबंटित आवास 3 माह (90 दिवस) के अंदर रिक्त करने होंगे। अधीक्षक भौतिक संयंत्र कार्यालय इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा एवं आवास रिक्त न होने की दशा में संबंधित से नियमानुसार पैनल रेंट वसूल करेगा।

आवास आबंटन नियम के बिन्दु क्रमांक 11 के अनुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा उसे आबंटित आवास को किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराये पर दिए जाने (Sublet) पर आवास आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही उप-किराये पर दिए जाने (Sublet) की अवधि का 45 (ब) के अनुसार किराया वसूल किया जावेगा।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रं. स्था.1/95/2017/7267

रायपुर, दिनांक 8/03/2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. कुलसचिव, कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा(दुर्ग) केम्पस, रायपुर (छ.ग.)
02. संचालक अनुसंधान सेवायें/ संचालक विस्तार सेवायें, /संचालक शिक्षण/निदेशक फार्म, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
03. लेखानियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
04. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय/कृषि अभियांत्रिकी संकाय/ छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
05. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/कवर्धा, /राजनांदेगाव/रायगढ़/कोरिया बैकठपुर/बेमेतरा/जांजगीर चौपा/भाटापारा/कांकेर।
06. अधिष्ठाता, बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मुगेली।

कार्य: 2

- 07 अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, राजनांदगांव/जगदलपुर ।
- 08 कार्यालय –अधीक्षक भौतिक संयंत्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर । कृपया वि.वि. स्थित आवास के संबंध में उक्त अधिसूचना अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
- 09 नेहरू पुस्तकालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
- 10 समस्त विभागाध्यक्ष
- 11 कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र,
रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/बलरामपुर/रायगढ़/महासमुंद्र
/धमतरी/जांजगीर-चांपा/कटघोरा-कोरबा/कोरिया/जशपुर/दंतेवाड़ा/राजनांदगांव/कवर्धा
/कांकेर/भाटापारा/बलरामपुर/नारायणपुर/गरियाबंद/बीजापुर/रायपुर ।
- 12 प्रभारी, राष्ट्रीय बीज परियोजना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर/ प्रभारी अधिकारी,
डी.के.फार्म, भाटापारा ।
- 13 सह-संचालक कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
- 14 प्रभारी अधिकारी आलू अनुसंधान केन्द्र मेनपाट, सरगुजा (छ.ग.)
- 15 माननीय कुलपतिजी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
- 16 सर्वर प्रभारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट
www.ignu.edu.in में अपलोड करने हेतु ।


कुलसचिव

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

पृ.क्रमांक: स्था.-1/230/2017/.....2993

दुर्ग, दिनांक 21/03/2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महा., अंजोरा (दुर्ग)/बिलासपुर/दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महा., रायपुर/मात्स्यिकी महा., कवर्धा ।
2. निदेशक, अनुसंधान सेवायें/शिक्षण/विस्तार शिक्षा/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
3. विस्तार अधिकारी, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
4. निदेशक/प्राध्यापक, एनीमल बायोटेक्नालॉजी/वाईल्ड लाईफ हेल्थ एवं फॉरेंसिक सेन्टर/कामधेनु एवं पंचगव्य अनुसंधान संस्थान, छ.ग.का.वि., दुर्ग ।
5. प्राचार्य, वेटनरी पॉलीटेक्नीक, महासमुंद्र/जगदलपुर/सूरजपुर ।
6. कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
8. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय ग्रंथालय/I.C.T. Cell, छ.ग.का.वि.वि., दुर्ग ।

Shri recep

for upload per
PR.


कुलसचिव